BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Joshi .... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. .... Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	Affidavit on behalf of Respondent -Uttar Pradesh Pollution Control Board in Compliance or Order dated 04.10.2024 passed by the Hon'ble Tribunal	1-2
2	**Annexure R** A true copy of the Status Report	3-6
3	**Annexure R/1** A true copy of the letter dated 19.10.2024 was by Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad to UPPCB	7-20
4	**Annexure R/2** A true copy of the letter dated 08.10.2024 and 16.10.2024 to District Administration, Ghaziabad for recovering the Environmental Compensation from Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad	21-23

Respondent
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Through

Amit Shukla
Advocate
D-54, Sector- 48, Noida – 201303
Mo. Nos. 9999933220, 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

Place: New Delhi
Date: 29.10.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Joshi .... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. .... Respondents

I, Vikas Mishra, S/o Sh. G.S Mishra, aged about 45 years, R/o F-1101, Pearlcourt Ramprasth Green, Vaishali, Ghaziabad presently at Ghaziabad, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I say that I am the Regional Officer of the Respondent in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case, am competent to swear this affidavit.

2. That the annexed Status Report alongwith Annexures are filed in compliance of order dated 04.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

3. A true copy of the Status Report is annexed herewith and marked as **Annexure R**.

4. A true copy of the letter dated 08.10.2024 and 16.10.2024 to District Administration, Ghaziabad for recovering the Environmental Compensation from Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad.

5. That the Environment (Protection) Act, 1986 has been amended by virtue of The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 which has come into force w.e.f 01.04.2024. It is submitted that the

29 OCT 2024

in view of amendment in the Act, Sections 14A, 14B, 15A, 15B, 15C have been inserted and Section 16 and 17 of the old act stands omitted. In view of such amendments, the Board could not initiate the criminal prosecution against the contraventions in the present case.

5. That the Annexures annexed to the present accompanying reply are true copies of their respective original.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Ghaziabad on this the 29th day of October 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 1136/98
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

Annexure - R

Status report with respect to order passed on 04.10.2024 by Hon,ble National Green Triubnal, New Delhi in OA no. 70/2024 in the matter of Deepak Joshi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

1. Background:-

Hon,ble National Green Triubnal, New Delhi in OA no. 70/2024 in the matter of Deepak Joshi Vs State of Uttar Pradesh & Ors vide order dated 04.10.2024 had directed following:-

"…………2. Learned Counsel appearing for Nagar Palika Parishad, Khoda also stated that till date large quantity of legacy waste is lying at site, though steps are being taken for its clearance. It is further said that so far as daily generation of solid waste is concerned, which is to the extent of about 105 MT per day, same is being regularly handled and processed and is not being dumped anywhere.

3. Let this fact be verified by UPPCB and submit a report within three weeks.

4. We also direct UPPCB to take effective steps for recovery of Environmental Compensation from Nagar Palika Parishad, Khoda by taking coercive measures and submit compliance report.

5. Further, for violation of environmental laws, criminal prosecution may also be initiated by UPPCB against responsible officers of Nagar Palika Parishad, Khoda, and compliance report be submitted. ……………."

2. Compliance:-

In compliance to the Hon,ble National Green Triubnal, New Delhi order dated 04.10.2024, inspection of the premises of dumping site in question situated on the land of Noida Authority behind Vehicle Depot on 18.10.2024 in the presence of Shri Navneet Gupta, J.E. (Jal) as representative of Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad. During inspection representative of Nagar Palika Parishad was asked for providing information regarding

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)
29 OCT 2024

3-

Management of Solid Waste and in respect to above a letter dated 19.10.2024 was received from Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad(The copy of said letter is attached herewith as **Annexure-1**).

Observations are as follows:-

(i) During inspection it was found that the large quantity of legacy waste is accumulated at the dumping site in question but no records of legacy waste was provided. Further according to said letter dated 19.10.2024, tenders are invited for the lifting the legacy waste, its transportation and treatment lying behind the Vehicle Depot.

Photograph taken during visit is given below:-

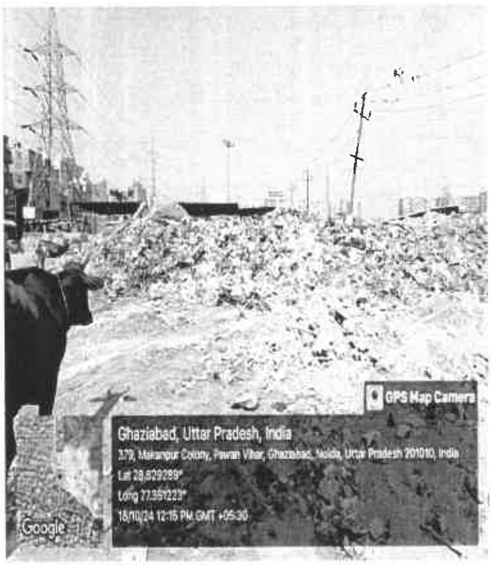

(ii) The daily fresh Municipal Solid Waste generation within the area of Nagar Palika Parishad is 105.17 MT/day approximately, which is being collected from door to door by means of primary, collection and deployed vehicles and there after collected at dumping site as secondary transfer point.

(iii) During inspection it was reported that so far as daily generation of MSW is concerned, same is being lifted and transferred to the

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

29 OCT 2024

4

processing facility established by M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd. at khasra No. 1304, village bahadarpur, pipe line road, Ghaziabad from 14.09.2024. In this regard a copy of letter dated 19.10.2024 of M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd has been submitted wherein receiving of MSW at Bahadarpur Waste to engery plant from 14.09.2024 to 18.10.2024 from Nagar Palika Parishad Khora Makanpur is mentioned but details regarding processing of such waste and waste processing facilities installed by the said agency is not given by EO Khoda. During inspection quantity of fresh MSW lying at dump site was reported to be 50 MT approximately.

(iv) During inspection it was observed that Nagar Palika Parishad has not demarcated storage area for the fresh MSW and no facility for the weighing of MSW was found. Further log book of MSW transported to that site and details of processing of waste was also not provided by Nagar Palika Parishad.

Photograph taken during visit is given below:-

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

29 OCT 2024

3. That, In violation of MSW rules 2016, Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 30.07.2024 has imposed a Environmental Compensation of Rs. 91,25,00,000/- on Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad but same has not deposited by it till date. Further in view of above UPPCB vide letter dated 08.10.2024 and 16.10.2024 has requested to District Administration, Ghaziabad to recover the said Environmental Compensation. The copies of said letters is attached herewith as **Annexure-2**.

4. Further in compliance of Hon,ble Nation Green Triubnal, New Delhi Order passed on 04.10.2024 inspection report has been sent to Head Office, Lucknow to initiate Prosecution against Executive Officer Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur, Ghaziabad which is under process.

Above report is submitted here by for kind perusal and necessary action.

(N.K. Pandey)
A.E.E.
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

(Vipul Kumar)
A.E.E.
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad

NOTARY
Sandeep Sharma
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

Annexure-R/1

कार्यालय नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद। 7

पत्रांकः–616 / न0पा0परि0खो0म0गा0 / 2024–25 दिनांक–19 / 10 / 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–70 / 2024 दीपक जोशी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेशों के क्रम में आपके द्वारा दिनांकः 18.10.2024 को किये निरीक्षण में चाही गयी सूचना संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–70 / 2024 दीपक जोशी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेशों के क्रम में आपके निरीक्षण दिनांकः 18.10.2024 के द्वारा किये चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है–

1. नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद प्रतिदिन लगभग 105.17 मी0टन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होता है। जिसके निस्तारण हेतु निकाय के कार्यादेश संख्या–1827 / 1 / न0पा0परि0खो0म0गा0 / कार्यादेश / 2023–24 दिनांकः 29 फरवरी, 2024 के क्रम में मै0 रोल्ज इण्डिया वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट कूड़ा निस्तारण का कार्य अपने प्लान्ट पता–बहादर पुर, पाईप लाईन रोड़, गाजियाबाद में किया जा रहा है।
2. पालिका द्वारा स्थायी व्यवस्था हेतु कूड़े के निस्तारण हेतु स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के तहत ग्राम निडौरी में 90 टी0पी0डी0 क्षमता के प्रोसेंसिंग प्लांट एंव 05 टी0पी0डी0 क्षमता के एम0आर0एफ0 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। एम0आर0एफ0 संचालन हेतु मशीनरी / उपकरणों का भी क्रय किया जा चुका है। जिसमें प्रति दिन लगभग 05 टन कूडे का निस्तारण का कार्य मैनुवल रूप से किया जा है एंव 90टी0पी0डी0 क्षमता के प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन हेतु मशीन की आपूर्ति, स्थापना एंव संचालन की डी0पी0आर0 बनाकर पत्र संख्या–554 / न0पा0परि0खो0म0गा0 / 2024 दिनांकः 01.10. 2024 के साथ संलग्न कर निदेशक / राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–7, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। प्रोसेसिंग प्लांट हेतु मशीनरी की आपूर्ति स्थापना के उपरान्त उसका संचालन प्रारम्भ होने पर निकाय के ठोस अपशिष्ठ का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, प्रसंस्करण एंव निस्पादन बिना किसी समस्या के वैज्ञानिक तरीके से सम्यक और निर्बाध रूप से किया जायेगा।

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

29 OCT 2024

7

3. नगर पालिका परिषद् खोड़ा मकनपुर पूर्व एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1/592/न0पा0प0खो0/ई–निविदा/2024 दिनांक–10.10.2024 के द्वारा निकाय क्षेत्र में वाहन डिपो के पास के लीगेसी वेस्ट को उठाने, उसके परिवहन, उपचार एंव निस्तारण कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके खोलने की दिनांकः 21.10.2024 है। निविदा को खोलने, चयनित फर्म से अनुबंध करने एंव तदोपरान्त कार्यादेश जारी करने के उपरान्त लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य प्राथमिकता के अधार पर किया जायेगा।

संलग्नक–**उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(अभिषेक कुमार)
अधिशासी अधिकारी,

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 136/98
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

8–

9

ROLLZ INDIA

ROLLZ/KHORA/24-25/67 DATE :-19-10-2024

To,

Executive Officer,

Nagar Palika Parishad,

Khora

Sub – MSW (Municipal Solid Waste) Received from 14th September 2024 to 18th October 2024.

Dear Sir,

This is to inform you that we have received MSW at our **Bahadarpur Waste To Energy (WTE) Plant from 14th September 2024 to 18th October 2024 from Khoda Municipal Council.**

The details of the MSW received is as follows:-

Total Trips – 374 Nos

Total Weight – 3856.380 MT.

The same is being Processed and shall be Disposed off as per norms.

This is for your kind information and necessary records.

For Rollz India Waste Management Pvt Ltd.

Authourised Signatory

Rollz India Waste Management Pvt. Ltd. Ghaziabad

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1136/98 GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

9

Uttar Pradesh Tenders

ePROCUREMENT System Government of Uttar Pradesh

Tender Details

Date : 19-Oct-2024 02:56 PM

Print

Basic Details			
Organisation Chain	Directorate of Local Bodies UP||Nagar Palika Parishad Khoda Makanpur Ghaziabad		
Tender Reference Number	592		
Tender ID	2024_DOLBU_964829_1	**Withdrawal Allowed**	Yes
Tender Type	Open Tender	**Form of contract**	Item Rate
Tender Category	Works	**No. of Covers**	2
General Technical Evaluation Allowed	No	**ItemWise Technical Evaluation Allowed**	No
Payment Mode	Offline	**Is Multi Currency Allowed For BOQ**	No
Is Multi Currency Allowed For Fee	No	**Allow Two Stage Bidding**	No

Payment Instruments

Offline	S.No	Instrument Type
	1	FDR - Fixed Deposit
	2	RTGS - RTGS Payment

Cover Details, No. Of Covers - 2

Cover No	Cover	Document Type	Description
1	Fee/PreQual/Technical	.pdf	Fee and EMD
		.pdf	Tender Doc
2	Finance	.xls	Boq

Tender Fee Details, [Total Fee in ₹ * - 11,800]

Tender Fee in ₹	11,800		
Fee Payable To	EO	**Fee Payable At**	Npp Khora
Tender Fee Exemption Allowed	Yes		

EMD Fee Details

EMD Amount in ₹	1,00,000	**EMD Exemption Allowed**	Yes
EMD Fee Type	fixed	**EMD Percentage**	NA
EMD Payable To	EO	**EMD Payable At**	Npp Khora

Click to view modification history

Work /Item(s)					
Title	The work of lifting legacy waste, its transportation, treatment and disposal near the vehicle depot in the civic area.				
Work Description	The work of lifting legacy waste, its transportation, treatment and disposal near the vehicle depot in the civic area.				
Pre Qualification Details	Please refer Tender documents.				
Independent External Monitor/Remarks	NA				
Tender Stage to disclose bid details to other bidders/public domain	No				
Tender Value in ₹	1	**Product Category**	Solid Waste Management	**Sub category**	NA
Contract Type	Tender	**Bid Validity(Days)**	90	**Period Of Work (Days)**	90
Location	Npp Khora-	**Pincode**	201309	**Pre Bid Meeting**	NA

ATTESTED (Sandeep Sharma) Reg. No. 1136/98 NOTARY PUBLIC Ghaziabad (U.P.)

NOTARY ★ Sandeep Sharma ★ Reg. No. 1136/98 GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

10

	Makanpur			Place	
Pre Bid Meeting Address	NA	Pre Bid Meeting Date	NA	Bid Opening Place	Npp khora makanpur
Should Allow NDA Tender	No	Allow Preferential Bidder	No		

Critical Dates

Publish Date	11-Oct-2024 10:00 AM	Bid Opening Date	21-Oct-2024 02:00 PM
Document Download / Sale Start Date	11-Oct-2024 10:00 AM	Document Download / Sale End Date	21-Oct-2024 12:00 PM
Clarification Start Date	NA	Clarification End Date	NA
Bid Submission Start Date	11-Oct-2024 10:00 AM	Bid Submission End Date	21-Oct-2024 12:00 PM

Tender Documents

NIT Document

S.No	Document Name	Description	Document Size (in KB)
1	Tendernotice_1.pdf	NIT	1332.06

Work Item Documents

S.No	Document Type	Document Name	Description	Document Size (in KB)
1	Tender Documents	NIT.pdf	Tender Document	1316.67
2	BOQ	BOQ_1683009.xls	BOQ	235.50

Bid Openers List

S.No	Bid Opener Login Id	Bid Opener Name	Certificate Name
1.	ms7174309@gmail.com	Manoj -	MANOJ
2.	navneetgupta546@gmail.com	Navneet Gupta	Navneet Gupta
3.	eoabhishek@gmail.com	Abhishek Kumar	ABHISHEK KUMAR

Tender Properties

Auto Tendering Process allowed	No	Show Technical bid status	Yes
Show Finance bid status	Yes	Show Bid Details in Public Domain stage	Technical Bid Opening
BoQ Comparative Chart model	Normal	BoQ Compartive chart decimal places	3
BoQ Comparative Chart Rank Type	L	Form Based BoQ	No

Tender Inviting Authority

Name	Eo
Address	Npp Khora

Tender Creator Details

Created By	Navneet Gupta
Designation	JE
Created Date	10-Oct-2024 08:06 PM

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1736/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. ...
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

11

कार्यालयः नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद।

पत्रांकः1/592/न0पा0प0खो0/ई–निविदा/2024 दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

ई प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना दिनांक:10.10.2024 के कार्य तथा नियम एवं शर्तें।

नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद द्वारा राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु दिनांकः 11 अक्टूबर 2024 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांकः 21.10.2024 की दोपहर 12:00 बजे तक वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर दिये गये नियम व शर्तो के अनुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	कार्य का नाम	निविदा मूल्य	धरोहर राशि	मद	कार्य पूर्ति अवधि
01	निकाय क्षेत्र में वाहन डिपो के पास के लीगेसी वेस्ट को उठाने, उसके परिवहन, उपचार एवं निस्तारण का कार्य।	रू0–11800.00	रू0–1,00,000.00	राज्य वित्त आयोग	90 दिन

1–निविदा अभिलेख एवं शर्ते वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 11.10.2024 को प्रातः 10:00 बजे से 21.10.2024 के दोपहर 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगें। जहॉं से इसे डाउनलोड किया जा सकता है और निविदा दर डाला जा सकता है।

2–निविदा से सम्बन्धित निविदा मूल्य को दिनांकः 20.10.2024 को शाम 05:00 बजे तक निकाय कार्यालय में नकद अथवा भारतीय स्टेट बैंक में संचालित निकाय के खाता सं0–38953266829 आई.एफ.एस.सी. कोड– SBIN 0016173 में R.T.G.S./N.E.F.T. /अन्य डिजिटल माध्यम से (प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग) जमा की जा सकती है। जमा की गयी धनराशि की रसीद की प्रति पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से कोई भी निविदा मूल्य स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3–निविदा डालने हेतु जमानत धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद के पक्ष में दिनांकः 20.10.2024 को शाम 05:00 बजे तक भारतीय स्टेट बैंक में संचालित निकाय के खाता सं0–38953361836 आई.एफ.एस.सी. कोड–SBIN 0016173 में R.T.G.S./N.E.F.T. अन्य डिजिटल माध्यम से अथवा निकाय कार्यालय में नकद जमा अथवा एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी, के नाम बंधक होगी,के माध्यम से जमा की जा सकती है। इस मद में जमा की गयी धनराशि की रसीद की प्रति पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से जमा की गई जमानत राशि मूल्य स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4–यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.inपर उपलब्ध है। निविदा के साथ निम्न अभिलेखों की स्कैन प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगाः–A-जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-4) B-हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-5) C-स्वघोषणा शपथ–पत्र (IDT-3) D-श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र E-चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रति F-चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर की प्रति G-कार्य के लिए आवश्यक संयत्र/मशीनरी का विवरण H-तकनीकी कर्मचारी का फोटो पहचान पत्र I-निविदा मूल्य(जी0एस0टी0 सहित) की ड्राफ्ट/अन्य द्वारा जमा की कॉपी J-धरोहर धनराशि ड्राफ्ट/अन्य की कॉपी K-जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र। अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5–निविदा के साथ संलग्न किसी भी अभिलेख के कभी भी फर्जी या गलत पाये जाने पर बिड निरस्त कर दी जायेगी तथा समबन्धित फर्म/ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल "संविदा काली सूची" में दर्ज कर दिया जायेगा।

6–कार्य के लिए अनुबन्ध से पूर्व रू0–100.00 का नान ज्यूडिसियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प देना अनिवार्य होगा।

7–फर्म के पास समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

8–आई0टी0बी0 के क्लॉज के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृति की तिथि से दो वर्ष तक बिना सरकार की अनुमति के

ATTESTED (Sandeep Sharma) Regd. No. ...38 NOTARY PUBLIC Ghaziabad (U.P.)

29 OCT 2024

Mohit Sharma 12

ठेकेदारी के काम के लिए प्रतिबिन्धित होगें। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसकी निविदा निरस्त किया जा सकता है।

9—ऐसे निविदादाता जिनका अपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।

10—निविदादाता को यह परामर्श दिया जाता है कि वो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्य स्थल/कार्य की जांच कर लें। निविदा डालने के बाद यह समझा जायेगा कि निविदा डालने से पहले उन्होंने कार्यक्षेत्र स्थानीय दशाओं, रेखाचित्र, विषेश विवरणों संविदा शर्तों आदि से परिचित हो लिया है।

11—निविदादाता के पास कार्य से सम्बन्धित आवश्यक मशीनरी, संयंत्र, वाहन एवं कार्य के लिए अन्य आवश्यक उपकरण होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

12—निविदादाता के पास कूड़े के निस्तारण हेतु प्र्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है। इसका प्रमाण निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

13—फर्म को प्रतिदिन उठाये जाने एवं निस्तारित किये गये कूड़े की मात्रा का प्रमाणिक रिकार्ड निकाय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

14—फर्म द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में दिये गये प्रावधानों एवं कूड़े के उचित निस्तारण हेतु समय—समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार ही कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। इसके प्रमाण फर्म द्वारा निकाय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर यदि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी अन्य सक्षम स्तर से कोई प्रतिकूल कार्यवही की जाती है। तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही फर्म की होगी।

15— कार्य हेतु किसी भी विभाग/कायार्लय से किसी भी प्रकार की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाईसेंस आदि की आवश्यकता होती है तो उसे फर्म को स्वयं लेना होगा।

17—कार्य पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन फर्म/ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

18—कार्य की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

19—निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय विड़ खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

20—कार्यदेश प्रशासनिक एवं वित्तीय बिड की स्वीकृति होने के उपरान्त फर्म द्वारा निकाय में कार्य हेतु पंजीकरण एवं अनुबन्ध कराने के बाद ही जारी किये जायेगें।

21—निविदादाता द्वारा जहां भी हस्ताक्षर किये जायेंगे वहाँ दिनांक सहित किये जाये।

22—सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

23—निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते जिले की वेबसाइट www.gaziabad.nic.in पर भी देखी जा सकती हैं।

24—निविदायें दिनांकः 21.10.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे निकाय कार्यालय में खोली जायेंगी। निविदादाता यदि चाहें तो निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। यदि किसी कारणवश सक्षम स्तर के अधिकारी उस दिन उपस्थित नहीं रहते हैं। तो किसी अन्य दिवस में भी खोली जा सकती हैं।

25—निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार जनपद—गाजियाबाद होगा।

26—कार्य से सम्बन्धित समस्त नियम, शर्तें व अनुमान किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय में निकाय कार्यालय में देखी जा सकती है।

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

(नवनीत गुप्ता)	(अभिषेक कुमार)	Mohini Sharma (मोहिनी शर्मा)
अवर अभियन्ता	अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष

29 OCT 2024

13-

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि –

1. जिलाधिकारी, जनपद–गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी स्थानीय, जनपद–गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी, महोदय सदर, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत जनपद–गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि यह निविदा सूचना की प्रति निकाय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. का0लिपिक/अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि व निविदा की B.O.Q. को नियत तिथि तक पोर्टल/वेब साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

(अभिषेक कुमार)
अधिशासी अधिकारी

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 1136/98
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

कार्यालय नगर पालिका परिषद कनपुर, गाजियाबाद

पत्रांक-554/न0पा0परि0खो0म0गा0/2024 दिनांक-01 अक्टूबर 2024

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय,
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

विषयः-स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट के संचालन हेतु मशीनों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र सं0-पी0एम0यू0/1078/429(13)/2024 लखनऊ दिनांक .. सितम्बर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट के संचालन हेतु सिविल कार्य एवं मशीनों को क्रय करने के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु कन्सलटैन्सी सर्विसेस फर्मो को नामित किया गया है। नामित फर्मो द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कराकर निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर गाजियाबाद को **M/S Aditya Consulting & Engineering Services, Harmu Chowk, Harmu Ranchi, Jharkhand.** द्वारा तैयार की गयी **Solid Waste Management Processing Plant 90 TPD** की डी0पी0आर0 संलग्न कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-डी0पी0आर0।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 खोड़ा-मकनपुर
गाजियाबाद।

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 86/76
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

15

ROLLZ INDIA

12/Sep/2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
खोड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के नोटिस सं0–479/न0पा0परि0खो0म0गा0/2024–25 दिनांक 10 सितम्बर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूड़े के निस्तारण करने के लिए निर्धारित स्थल की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में महोदय को अवगत कराना है कि हमारी फर्म का कूड़ा निस्तारण प्लान्ट बहादरपुर, पाईप लाईन रोड, गाजियाबाद में स्थित है। जिसकी खोड़ा निकाय से दूरी लगभग 27 कि0मी0 है। यही पर निकाय द्वारा कूड़े को अपने वाहनों से पहुँचाया जा रहा है। कूड़े का निस्तारण हमारी फर्म द्वारा किया जा रहा है। निकाय का कूड़ा लाने वाले वाहनों एवं कूड़ा निस्तारण की लॉगबुक व अन्य आवश्यक अभिलेख पाक्षिक रूप से नगर पालिका खोड़ा–मकनपुर गाजियाबाद को उपलब्ध करायी गयी है।

वांछित सूचना सादर प्रेषित है।

Rollz India Waste Management Pvt. Ltd.
12/09/2024

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 1136/98
GOVT. OF INDIA

29 OCT 2024

16

कार्यालय–नगर पालिका परिषद खोड़ा–मकनपुर, गाजियाबाद

पत्रांक– 479 / न0पा0परि0खो0म0गा0 / 2024–25 दिनाँक– 10 सितम्बर 2024

नोटिस

मै0 रोल्ज इण्डिया वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
पता– आर–10 / 107, राजनगर,
गाजियाबाद।

नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूड़े के निस्तारण के कार्य **(कूड़े को निर्धारित स्थल तक पहुँचाने का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा)** हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से दिनांक 13.12.2023 को निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें आपकी निविदा सबसे न्यूनतम दर की होने के कारण अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृत की गयी। जिसके उपरान्त फर्म से अनुबन्ध कर दिनांक 29 फरवरी 2024 को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश के उपरान्त आप द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु कोई भी स्थल चिन्हित कर **निकाय के कूड़ा उठान हेतु स्वीकृत फर्म मै0 एस0बी0ए0 इन्वायरो टैक प्रा0 लि0** को सूचना नही दी गयी है। जिससे निकाय के कूड़े का निस्तारण नही हो पा रहा है, निकाय के एकत्र कूड़े के कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। जिस हेतु निकाय कार्यालय के पत्र सं0–328 / न0पा0परि0खो0म0गा0 / 2023–24 दिनांक 19 जुलाई 2024 के माध्यम से सूचित भी किया गया है। लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि न तो आप द्वारा नोटिस का कोई जवाब दिया गया और न ही कार्य प्रारम्भ किया गया।

अतः आपको पुनः इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूड़े के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थल का चयन कर **निकाय के कूड़ा उठान हेतु स्वीकृत फर्म मै0 एस0बी0ए0 इन्वायरो टैक प्रा0 लि0** को सूचित कर 03 कार्यदिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके कार्यादेश को निरस्त कर एवं उक्त निविदा हेतु निकाय में जमा धरोहर जमा धनराशि को भी जब्त कर, आपकी फर्म को काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कोई भी कार्यवाही / जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। या कोई अन्य प्रतिकूल कार्यवाही की जाती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 खोड़ा–मकनपुर
गाजियाबाद

प्रतिलिपि–मै0 एस0बी0ए0 इन्वायरो टैक प्रा0 लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फर्म से समन्वय स्थापित कर, कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1126/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 1126/98
GOVT. OF INDIA

अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 खोड़ा–मकनपुर
गाजियाबाद

29 OCT 2024

17

कार्यालय नगर पालिका परिषद खोडा–मकनपुर, गाजियाबाद

पत्रांक–1827/ / न0पा0परि0खो0म0गा0 / कार्यादेश / 2023–24 दिनाँक–29 फरवरी 2024

:: कार्यादेश ::

मै0– रोल्ज इण्डिया वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
पता–आर–10 / 107, राजनगर,
गाजियाबाद।

आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर, गाजियाबाद में राज्य वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूडे के निस्तारण कार्य हेतु **(कूडे को निर्धारित स्थल तक पंहुचाने का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा)** दिनाँकः–13 दिसम्बर 2023 से दिनाँकः–30 दिसम्बर 2023 को प्रेषित ई–निविदा न्यूनतम दर की होने के कारण अध्यक्ष महोदया द्वारा दिनाँकः– फरवरी 2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत निविदा की दर	जमानत राशि	कार्यावधि
1	नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूडे के निस्तारण का कार्य। **(कूडे को निर्धारित स्थल तक पहुँचाने का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा)।**	567.00 रूपये प्रति मीट्रिक टन	05,00,000.00	बारह माह

अतः आप अनुबन्ध में दी गई शर्तो के अनुसार नगर पालिका परिषद खोडा मकनपुर, जनपद गाजियाबाद में उल्लिखित कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण कान्त मिश्रा)
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 खोडा–मकनपुर
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) / व0प्र0अधि0स्था0नि0 महोदया, गाजियाबाद।
2– उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
3– अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद।
4– सम्बन्धित अवर अभियन्ता, न0पा0परि0, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद।
5– सफाई एवं खादय निरीक्षक, न0पा0परि0, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद।
6– पत्रावली पर स्थापन हेतु।

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1136/98 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

2 9 OCT 2024

(कृष्ण कान्त मिश्रा)
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 खोडा–मकनपुर
गाजियाबाद।

18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 630907

:: नोटरी शपथ–पत्र ::

मै0–रोल्ज इण्डिया वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, पता–आर. 10/107, राजनगर, गाजियाबाद, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर (गाजियाबाद) के आदेश संख्या–1827/1/ न0पा0परि0खो0म0गा0/कार्यादेश/2023–24 दिनांक–29, फरवरी 2024 के अन्तर्गत निम्न कूड़ा निस्तारण कार्य का ठेका लिया।

क्र सं	कार्य का नाम	स्वीकृत निविदा की दर	जमानत राशि	कार्यावधि
01	नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूड़े के निस्तारण का कार्य। (कूड़े को निर्धारित स्थल तक पहुँचाने का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा।)	567.00 रूपये प्रति मीट्रिक टन	05,00,000.00	बारह माह

उपरोक्त में निम्न शर्तों का पाबन्द होता हूँ।

प्रथम पक्ष द्वारा नगर पालिका परिषद् खोड़ा–मकनपुर क्षेत्रान्तर्गत वाहन डिपो के पीछे एकत्रित कूड़े के निस्तारण का कार्य (कूड़े को निर्धारित स्थल तक पहुँचाने का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा) लीगेसी वेस्ट का CPCB द्वारा निर्गत निर्देश/मानक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुरूप करेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त नियमावली के अनुरूप कार्य नही किया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी और उक्त कार्य करने में यदि किसी समय कार्य की पद्धति के विषयगत कोई अर्थदण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित होता है तो उसका भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा ही किया जाना देय होगा।

2– विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा करायी जायेगी जिसका व्यय प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।

3– जलापूर्ति व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

4– प्रथम पक्ष को उक्त कार्य 02 शिपटों में करना होगा।

5– उक्त कार्य में कार्यस्थल पर अस्थायी वर्किंग शैड की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

6– उक्त कार्य के निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था सक्षम अधिकारी द्वारा लागू की जा सकती है, जो प्रथम पक्ष को मान्य होगी।

7– कूड़ा निस्तारण के प्रबन्धन के पश्चात उससे निकली मिटटी, प्लास्टिक इत्यादि, जिसका पुनः चक्रीकरण/निरतारण नही हो सकता है, उस कचरें को डम्प साईट तक पहुँचाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।

8– डम्प साईट की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

प्रथम पक्ष

29 OCT 2024

अधिशासी अधिकारी
(द्वितीय पक्ष) न0पा0परि0खोड़ा–मकनपुर

19

9– उक्त कार्य संतोषजनक न होने की दशा में प्रथम पक्ष को नोटिस देकर पुनः कार्य कराया जायेगा, यदि प्रथम पक्ष पुनः कूड़ा निस्तारण कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता है तो जमानत धनराशि जब्त कर कार्य द्वितीय न्यूनतम दर के निविदादाता से एल–1 की दरो पर कराया जायेगा। यदि विभाग द्वारा कार्य को कराये जाने में धनराशि अधिक व्यय होती है तो उसकी पूर्ति प्रथम पक्ष से भू–राजस्व की भाँति वसूल कर प्रथम पक्ष को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।

10– प्रथम पक्ष द्वारा जमा की गई धरोहर जमानत धनराशि कार्य समाप्ति की तिथि से तीन माह पश्चात् कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में ही वापस की जायेगी।

11– निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों को मानने हेतु प्रथम पक्ष बाध्य रहेगा।

12– कार्य मानक के अनुसार न पाये जाने पर प्रथम पक्ष को दण्डित किया जायेगा।

13– किसी भी विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी(अधिशासी अधिकारी) का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

14– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की फोटो व कार्य समाप्त होने के पश्चात की फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार नही किया जायेगा।

15– यदि किन्ही विशेष परिस्थितियों में प्रथम पक्ष उक्त कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण नही कर पाता है तो सक्षम अधिकारी(अधिशासी अधिकारी), नगर पालिका परिषद, खोड़ा–मकनपुर, जनपद–गाजियाबाद की अनुमति से कार्य अवधि बढायी जा सकती है, परन्तु उक्त अवधि दो बार से अधिक किसी भी दशा में नही बढायी जायेगी।

16– कार्य होने के पश्चात कार्य का सत्यापन सी० एण्ड डी० एस० विभाग द्वारा उनके समकक्ष अवर/सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

17– प्रथम पक्ष को उपरोक्त स्थल से कचरा पूर्ण रूप से विलुप्त करके देना होगा।

18– उक्त कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरण/मशीन जैसे–बेलिंग मशीन, शेडिंग मशीन, ट्रैक्टर–ट्रॉली, डम्फर, जे०सी०बी० एवं पोकलैन मशीन प्रथम पक्ष द्वारा लगाए जायेगें, जिसका समस्त व्यय प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।

19– कार्य का भुगतान 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा।

20– निकाय द्वारा निडौरी में बनाये जा रहे निर्माणाधीन प्लान्ट का कार्य पूर्ण होने एवं प्लान्ट के शुरू होने के पश्चात् उक्त कार्य के सम्बन्ध में किया गया अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

21– यदि द्वितीय न्यूनतम दर का निविदादाता उक्त कार्य एल–1 की स्वीकृत दरो पर कार्य करने के लिए तैयार नही होता है तो निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके फलस्वरूप प्रथम पक्ष की निविदा के साथ जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

22– कार्य की समयावधि समाप्त होने पर उक्त अवधि सक्षम अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

23– कूड़ा निस्तारण के समय, जो गीला कूड़ा (Bio-degradable) निकलेगा, उसकी कम्पोस्टिंग प्रथम पक्ष को करनी होगी। उपरोक्त कियाओं के पश्चात उसका प्रयोग बायो एनर्जी रिसोर्स यथा बायोगैस, खाद् अथवा कम्पोस्टिंग प्रथम पक्ष को करनी होगी। उपरोक्त सम्भावित कियाओं के पश्चात जो भी प्रोडक्ट यथा गैस, खाद या अन्य उत्पाद तैयार होगा, उसकी मात्रा का मूल्यांकन प्रतिदिन/यथा अवधि नगर पालिका के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा और उसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ खुले बाजार में विक्रय करने के पश्चात् जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे नगर पालिका कोष में जमा कराने का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा, जिसका समय–समय पर निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि प्राप्त धनराशि को निकाय कोष में नही जमा किया जाता है तो उक्त धनराशि की कटौती फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल से कर ली जायेगी।

24– कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया में जो भी आर.डी.एफ. निकलेगा उसका सत्यापन सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा एवं उपरोक्त आर.डी.एफ. का पारदर्शी ढ़ंग से विक्रय करने के पश्चात जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे नगर पालिका कोष में जमा कराने का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा, जिसका समय–समय पर निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि प्राप्त धनराशि को निकाय कोष में नही जमा किया जाता है तो उक्त धनराशि की कटौती फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल से कर ली जायेगी।

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

द्वितीय (प्रथम पक्ष)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, खोड़ा–मकनपुर
गाजियाबाद

ATTESTED
MEHAR CHAND PAUL
Notary Advocate
Ghaziabad
Regn. No-13416
29/10/2024

द्वितीय (प्रथम पक्ष)

29 OCT 2024

20

Annexure-R/2

21

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H/18292/सी–1/सा0–772/2024 दिनांक : 8-10-24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय : मै0 नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भाँति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के आधार पर मै0 नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्ध बोर्ड के पत्र संख्या–एच15041/सी–1/सा0–772/पर्या0क्षति0/2024, दिनॉक–30.07.2024 द्वारा रूपया–91,25,000/– (रूपया इक्यानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्रांक–1428/ए–231/2024 दिनांक–09.09.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से भी पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु परिषद् द्वारा पर्याप्त समयोपरान्त भी उक्त संबंध में न ही कोई पत्राचार किया गया है एवं न ही अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के खाते में जमा किया गया है जो कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–70/2024 दीपक जोशी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–04.10.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–
"......4- We also direct UPPCB to take effective steps for recovery of Environment Compensation from Nagar Palika Parishad, Khoda by taking coercive measures and submit compliance report......"

उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या–1613/एन0जी0टी0–212/ओ0ए0–70/2024/24, दिनॉक–07.10.2024 द्वारा परिषद् के विरूद्ध अधिरोपित उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भॉति किये जाने की संस्तुति की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः मै0 नगरपालिका परिषद्, खोड़ा, मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया–91,25,000/– (रूपया इक्यानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की वसूली भू–राजस्व की भॉति कराकर उक्त धनराशि का भुगतान Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net /DirectFeesv3 /UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करवाने का कष्ट करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :–

1-	Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति	Water Pollution
2-	Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय	Ghaziabad
3-	EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया	UPPCB

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली कराकर संबंधित खाते में जमा करायें।

सदस्य सचिव

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 11136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
ई–मेल : info@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
E-mail : info@uppcb.com

29 OCT 2024

21

क्षेत्रीय कार्यालय–उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : ..1613....../एनजीटी–212/ओ०ए०–70/2024/24 दिनांक 07/10/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1,
उ०प्र० प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मैसर्स नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्व अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भू–राजस्व की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच–15041/सी–1/सामान्य–772/पर्या०क्षति०/2024 दिनांक 30.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मैसर्स नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्व रु0 91,25,000/– (रु0 इक्वानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके अनुक्रम मे नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद को कार्यालय के पत्रांक 1428/ए–231/2024 दिनांक 09.09.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य जमा नही किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ०ए० संख्या 70/2024 दीपक जौशी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.10.2024 का मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"........4. We also direct UPPCB to take effective steps for recovery of Environmental Compensation from Nagar Palika Parishad, Khoda by taking coercive measures and submit compliance report........."

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मैसर्स नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्व रु0 91,25,000/– (रु0 इक्वानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय स्तर से जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

Letter_2023_24_Sunil_RO SIR

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

29 OCT 2024

22

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1202/N6T-212/2024 दिनांक 16/10/2024

महत्वपूर्ण / पंजीकृत

सेवामें,
अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर गाजियाबाद के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच–18292 / सी–1 / सा0–772 / 2024 दिनांक 08.10.2024, जो जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मैसर्स नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर गाजियाबाद के विरूद्ध रु0 91,25,000 / – (रु0 इक्यानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भाँति वसूल किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, (छायाप्रति संलग्न है)।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आपसे अनुरोध है कि मैसर्स नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर गाजियाबाद के विरूद्ध रु0 91,25,000 / – (रु0 इक्यानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भाँति वसूली हेतु आर0सी0 जारी किये जाने तथा वसूली के उपरान्त उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के Payment gateway (https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा कराने का कष्ट करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्वत विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1	Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति	Water Pollution
2	Regional Office/क्षेत्रीय कार्यालय–	Ghaziabad
3	EC Imposed in compliance/अनुपालन में ई0सी0 लगाया गया	UPPCB

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 70 / 2024 दीपक जोशी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में वाद विचाराधीन है, जिसकी अग्रिम सुनवाई तिथि 05.11.2024 नियत है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

29 OCT 2024

क्षेत्रीय अधिकारी